

प्रेस नोट

15.09.2020

03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.09.20 को थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान हकीकतपुरा के पास से मु0अ0सं0 221/20 धारा 279,304ए भादवि0 में वांछित अभियुक्त माया यादव पुत्र रामकिशोर यादव निवासी सोमूघाट थाना कोतवाली जनपद देवरिया तथा मु0अ0सं0 220/21 धारा 376,504,506,452,147 भादवि0 में वांछित अभियुक्त अरूण कुमार पुत्र बालकिसुन निवासी प्यारेपुर थाना दक्षिणटोला, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 503/20 धारा 376,504,506 भादवि0 में वांछित अभियुक्त मो0 हामिद पुत्र सेराज निवासी चित्तनपुरा थाना कोतवाली मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

25 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब के साथ 02 गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **दक्षिणटोला** पुलिस द्वारा खेदुपुरा के पास से पप्पू निषाद पुत्र मुसाफिर निषाद निवासी निषाद नगर थाना दक्षिणटोला के कब्जे से 20 लीटर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा बड़ी कम्हरिया के पास से राकेश राजभर पुत्र विनोद राजभर निवासी बड़ी कम्हरिया थाना कोतवाली के कब्जे से 05 लीटर अवैध देशी कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 08 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 15.09.20 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान शांति भंग की आशंका में थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा लालबहादुर निवासी उमरपुर थाना हलधरपुर, थाना **कोतवाली** पुलिस द्वारा धर्मात्मा यादव निवासी सराया थाना मुहम्मदाबाद, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा महेन्द्र निवासी हसनपुर बहरामपुर, अमित मिश्रा निवासी डुमरी मर्यादपुर, सूर्यभान निवासी इब्राहिमाबाद थाना मधुबन, थाना **मुहम्मदाबाद** पुलिस द्वारा जितेन्द्र राजभर निवासी मड़हा थाना मुहम्मदाबाद, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा दिनेश यादव, रामप्यारे यादव निवासी उमरी थाना रानीपुर मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।